

विविध बैंक प्रकरण सं० 73/2019(RCMS 2019/00124) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री राकेश व्यास, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, मुख्य शाखा, ई-ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स श्री बालाजी दाल मिल जरिये प्रो. श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री शिव नारायण शर्मा एवं जरिये मैनेजर श्री श्याम सुंदर शर्मा पुत्र श्री शिव नारायण शर्मा प्लॉट नं. जी-1-337 (बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको, श्रीगंगानगर 2. श्री श्याम सुंदर शर्मा पुत्र श्री शिव नारायण शर्मा 3. श्रीमति ललिता शर्मा पत्नि श्री श्याम सुंदर शर्मा निवासी मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर

17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स श्री बालाजी दाल मिल - प्रो. श्री राजेश शर्मा एवं मैनेजर श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्री श्याम सुंदर शर्मा एवं श्रीमति ललिता शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 3,75,00,000/- (अखरे रूपये तीन करोड़ पिच्चहत्तर लाख मात्र) का ऋण दिनांक 15.03.2017 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री श्याम सुंदर शर्मा की व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. जी-1-337(बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 10092.88 वर्गफुट) एवं रिहायशी संपत्ति मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 465 वर्गफुट) एवं मैसर्स श्री भगवती एग्रो फ्लोर मिल-प्रो. श्री श्याम सुंदर शर्मा की व्यावसायिक संपत्ति गोदाम प्लेट फार्म सहित दुकान नं. 268, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3175 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी।

श्री गंगानगर

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 18.02.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.02.2019 को 3,88,78,781/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है। जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 21.02.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री श्याम सुन्दर एवं मै. भगवती एग्रो फ्लोर मिल -प्रो. श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. जी-1-337(बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 10092.88 वर्गफुट) एवं रिहायशी संपत्ति मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 465 वर्गफुट) एवं व्यावसायिक संपत्ति गोदाम प्लेटफार्म सहित दुकान नं. 268, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3175 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स श्री बालाजी दल मिल-प्रो. राजेश शर्मा एवं मैनेजर श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं श्रीमति ललिता शर्मा को कुल 3,75,00,000/- (अखरे रूपये तीन करोड़ पिच्चहत्तर लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.03.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर एवं मै. भगवती एग्रो फ्लोर मिल -प्रो. श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. जी-1-337(बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 10092.88 वर्गफुट) एवं रिहायशी संपत्ति मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 465 वर्गफुट) एवं व्यावसायिक संपत्ति गोदाम प्लेटफार्म सहित दुकान नं. 268, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3175 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 21.02.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी. ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.02.2019 जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थी श्याम सुन्दर शर्मा के स्वयं के हस्ताक्षर है इसके साथ अप्रार्थी ऋणी मैसर्स बालाजी दल मिल-प्रो. राजेश शर्मा एवं मैनेजर श्री श्याम सुन्दर शर्मा और श्रीमति ललिता शर्मा को उक्त धारा 13(2) का नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति हेतु पोस्ट ऑफिस का ट्रैक कंसाईन्मेंट एवं प्राप्ति रसीद पेश की है जिसके अनुसार ऋणी अप्रार्थीगण को नोटिस धारा 13(2) का तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस

जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. जी-1-337(बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 10092.88 वर्गफुट) एवं रिहायशी संपत्ति मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 465 वर्गफुट) एवं व्यावसायिक संपत्ति गोदाम प्लेट फार्म सहित दुकान नं. 268, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3175 वर्गफुट) जो ऋणी श्री श्याम सुन्दर एवं मै. भगवती एग्रो फ्लोर मिल -प्रो. श्री श्याम सुन्दर शर्मा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.02.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 21.02.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर शर्मा के नाम जारी होकर स्वयं को प्राप्त हो चुका है एवं मैसर्स बालाजी दाल मिल-प्रो. राजेश शर्मा एवं मैनेजर श्री श्याम सुन्दर शर्मा और श्रीमति ललिता शर्मा को पोस्ट ऑफिस के ट्रेक कंसाईनमेंट एवं प्राप्ति रसीद के अनुसार नोटिस प्राप्त हो चुका है, परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नोटिस की प्रति, ट्रेक कंसाईनमेंट एवं पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री श्याम सुन्दर एवं मै. भगवती एग्रो फ्लोर मिल-प्रो. श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, ई-ब्लॉक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. जी-1-337(बी), एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, रिको श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 10092.88 वर्गफुट) एवं रिहायशी संपत्ति मकान नं. 44, मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 465 वर्गफुट) एवं व्यावसायिक संपत्ति गोदाम प्लेट फार्म सहित दुकान नं. 268,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नई धान मंडी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3175 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्री श्याम सुन्दर एवं मै. भगवती एगो फ्लोर मिल -प्रो. श्री श्याम सुन्दर शर्मा के नाम से है और जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर